मनमानी और रोक के खिलाफ उपचार

- जब आपको गिरफ़्तार किया जाता है और बिना प्राथमिकी/मामला दर्ज किए पुलिस थाने में रोक कर रखा जाता है तो इसे गैर–कानूनी गिरफ़्तारी कहते हैं। गैर–कानूनी गिरफ़्तारी एक गंभीर अपराध है और इसके लिए आपके पास अनेक कानूनी समाधान उपलब्ध हैं। आप उस पुलिस अधिकारी/अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने आपकी गैर–कानूनी गिरफ़्तारी की हो या आपको रोक कर रखा हो। आपकी आर्थिक क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है।

आप

- गैर–कानूनी रूप से गिरफ़्तार व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का सहारा ले सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप सीधे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करे जो गिरफ़्तार व्यक्ति को उनके समक्ष पेश करने का आदेश स्थानीय पुलिस को देगा।
- अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए संविधान के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग करें।
- गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी से मुआवजे की मांग करें।
- गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दायर करें।
- यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है तो वहां शिकायत दर्ज करें।
- राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें।

आप

- जिला पुलिस अधीक्षक अथवा किसी वरिष्ठ पुलिस से भी मिल सकते हैं या उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा जानकारी दे सकते हैं, या
- उस क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करें।

महिलाओं के विशेष अधिकार

- विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है यदि इस अवधि के दौरान गिरफ्तारी की जानी है तो पुलिस अधिकारी को मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी चाहिए।

(गिरफ्तारी के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देष)

- महिलाओं की तलाशी सिर्फ किसी महिला द्वारा ही ली जानी चाहिए जिसमें गोपनीयता और शालीनता का सख़्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(धारा 51, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- महिला संदिग्धों को थाने में अलग लॉक–अप में रखा जाना चाहिए। उन्हें ऐसी जगह नहीं रखा जाना चाहिए जहां पुरुष संदिग्धों को रखा गया हो।

(उच्चतम न्यायालय शीला बर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य)

- महिला संदिग्धों से पूछ ताछ सिर्फ महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही की जाएगी।
- जब किसी महिला की गै़र–जमानती अपराध के लिए गिरफ़्तारी होती है तो अपराध के बेहद गंभीर होने के बावजूद, यहाँ तक कि अगर उसकी सज़ा मृत्युदंड हो, तब भी, न्यायालय उसे जमानत पर रिहा कर सकता है।
- सभी कागजातों की प्रतियां स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।

(उच्चतम न्यायालय निर्णय डी.के.बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)

- प्रत्येक गिरफ़्तारी तथा गिरफ़्तारी के स्थान का ब्यौरा राज्य तथा जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को गिरफ़्तारी के 12 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। इस सूचना को कक्ष के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(धारा 41, दंड प्रक्रिया संहिता, उच्चतम न्यायालय निर्णय डी.के.बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)

- गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। आपको तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जाना चाहिए, जब तक कि:
  - आपके भागने या भागने का प्रयास करने का स्पष्ट खतरा हो; या
  - आप इतने उग्र हैं कि आपकी हरकत पर नियंत्रण किए बगैर आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

(धारा 49, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर–लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्दे य कॉमनवेल्थ दे ों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकार मानदंडों के अधिक से अधिक अनुपालन की वकालत करता है।

फ़िलहाल हम निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं::

- पुलिस सुधार
- कारागार सुधार
- सूचना का अधिकार
- नीतिगत पहल संबंधी कार्यक्रम
- कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिटींग (सी.एच.ओ.जी.एम.) की रिपोर्ट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल,
सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली110017, भारत
फोन: +91 011 43180200, 43180225–299
फैक्स: +91 011 26864688
ई-मेल: info@humanrightinitiative.org
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

गिरफ्तारी और रोक

पुलिस और आप

अपने अधिकार जानिए

कॉमनवेल्थ
ह्यूमन
राइट्स
इनिशिएटिव

संविधान और कानून के तहत नागरिकों को आपराधिक मामलों में तथा गिरफ़्तारी के दौरान अनेक अधिकार दिए गए हैं। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है और गिरफ़्तारी के दौरान एंव इसके पश्चात् आपके क्या अधिकार हैं।

गिरफ्तार कौन कर सकता है?

- एक पुलिस अधिकारी अपराध के स्वरूप और उसकी गंभीरता को देखते हुए किसी व्यक्ति को वारंट पर या बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकता है।
- एक निजी व्यक्ति किसी घोषित अपराधी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में गैर–जमानती संज्ञेय अपराध किया हो, गिरफ़्तार कर सकता है एंव उसे पुलिस को सौंप सकता है।

(धारा 43, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

क्या आप बगैर वारंट के गिरफ्तार किए जा सकते हैं?

हां, आप बगैर वारंट के भी गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, यदिः

- आप पर किसी संज्ञेय अपराध में शामिल होने का संदेह हो या ऐसे अपराध में आपके शामिल होने की शिकायत मिली हो;
- आपके पास घर में सेंध लगाने का कोई औजार जैसे क्रॉसबार, सरिया या शीशा काटने का औजार मिलता है जिसका आपके पास होने का, आप कोई कारण नहीं बता पाते हैं;
- आप कानून के तहत घोषित अपराधी है;
- आपके पास चोरी का सामान पाया जाता है;
- आप किसी पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्यों के निर्वाहन में बाधा डालते हैं;
- आप कानूनी हिरासत से भाग गए हैं या भागने का प्रयास किया है;
- आपको न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है और आपने स्वयं को पुलिस को नहीं सौंपा है;
- कोई पुलिस अधिकारी आपसे अपराध बताकर गिरफ़्तार होने का अनुरोध करता है;
- आप पर संदेह होता है कि आप किसी भी सैन्य बल के भगोड़े हैं; या
- आप एक संदिग्ध या आदतन अपराधी हों।

आपको बगैर वारंट के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है यदि कथित अपराध में सात वर्ष या इससे कम की अवधि के दंड का प्रावधान है। गिरफ़्तारी के बजाए आपको थाने में 'हाजिर होने' की सूचना जारी की जा सकती है और आपको तभी गिरफ़्तार किया जा सकता है यदि सम्मन जारी करने के बाद भी आप थाने में हाजिर नहीं होते हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारी आपको ऐसे अपराध के लिए भी गिरफ़्तार कर सकता है जिसमें सात वर्ष या उससे कम की अवधि के दंड का प्रावधान है यदि वह अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि समुचित जांच के लिए या आपको और अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ़्तार करना जरूरी है।

(धारा 41, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

गिरफ्तारी और रोकः आपके अधिकार और कर्त्तव्य

यदि आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको अधिकार है किः

- आपको गिरफ्तारी के कारण की पुलिस द्वारा सूचना दी जाए।

(अनुच्छेद 22(1) संविधान, धारा 50, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- यदि आपको जमानती अपराध के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है तो, आपको जमानत पर छोड़ा जाए।

(धारा 50, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अन्दर आपको निकटतम उचित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। इस अवधि में आपको गिरफ़्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक ले जाने का समय शामिल नहीं है।

(अनुच्छेद 22(2) संविधान, धारा 57 और 76, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- आपकी गिरफ़्तारी और रोक के स्थान की जानकारी आपके परिवार या आपके मित्रों को दी जाए। पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि वह आपको इस अधिकार की जानकारी दे और आपकी गिरफ़्तारी और रोक की जानकारी आपके परिवार और मित्र को दे। इस सूचना को पुलिस थाने की पुस्तिका में भी दर्ज किया जाना चाहिए।

(धारा 50क दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- आप अपनी पसन्द के वकील से मिले और सलाह लें। पूछताछ के दौरान भी किसी वकील से परामर्श किया जा सकता है किन्तु पूरी पूछताछ अवधि के दौरान ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(धारा 41ड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- हिरासत के दौरान पूछताछ और जांच के समय आपके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए या आपको प्रताड़ित न किया जाए।
- आपको भागने से रोकने के लिए जरूरत से ज्यादा नियंत्रित न किया जाए।

(धारा 49, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- आपकी गिरफ़्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह आपकी तलाशी ले एंव उसके बाद आपके पास से जब्त सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे। आपको ऐसी सभी वस्तुओं की सुची दी जानी चाहिए।

(धारा 51, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

चिकित्सा जांच का अधिकार

- आप पंजीकृत चिकित्सक द्वारा अपने शरीर की चिकित्सा जांच कराने की मांग कर सकते हैं ताकि आपके खिलाफ लगे अपराध को आप गलत सिद्ध कर सकें। यह मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है कि वह आपको इस अधिकार की सूचना दे।

(धारा 54, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- जांच के दौरान आपके शरीर पर पाए गए जख्मों को रिकार्ड किया जाना चाहिए। जांच समाप्त होने के बाद उस पुलिस अधिकारी को जिसने आपको गिरफ़्तार किया है, एक जांच ज्ञापन तैयार करना चाहिए और इस ज्ञापन पर आपके और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, इसकी एक प्रति आपको दी जानी चाहिए।

(उच्चतम न्यायालय निर्णय डी.के. बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)

- आपको हिरासत में रखे जाने के दौरान प्रत्येक 48 घंटे पर एक योग्य और सरकार द्वारा स्वीकृत डॉक्टर द्वारा चिकित्सा जांच कराए जाने का अधिकार है।

(उच्चतम न्यायालय निर्णय डी.के. बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)

पुलिस के अतिरिक्त कर्त्तव्य

- गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपने ड्रेस पर सही दिखनेवाला और स्पष्ट पदनाम सहित नामपट्टी धारण करनी चाहिए।

(धारा 41–ख(क) दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को एक गिरफ़्तारी मेमो तैयार करना चाहिए जिस पर आपके परिवार के एक सदस्य या मित्र या गिरफ़्तारी के स्थान के एक सम्मानजनक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस पर आपका प्रति हस्ताक्षर होना चाहिए।

(धारा 41ख (ख) दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

कानूनी सलाह का अधिकार

- आप स्वयं वकील नियुक्त करने में समर्थ नहीं है तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह अधिकार गिरफ़्तारी के समय से ही शुरू हो जाता है। यदि आपको इस अधिकार की जानकारी नहीं है तो यह मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है कि वह आपको अदालत में पहली बार उपस्थित किए जाने के समय इस अधिकार की जानकारी दें।

(अनुच्छेद 39क संविधान धारा 304, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उच्चतम न्यायालय निर्णय खत्री और अन्य बनाम बिहार राज्य)

- यह पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह निकटतम विधिक सहायता समिति को ऐसे व्यक्ति, जिसे विधिक सहायता की जरूरत है, की गिरफ़्तारी के बारे में सूचना दे।

गिरफ्तारी का विरोध

- कभी भी गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध न करें।
- पुलिस अधिकारी या आपको गिरफ़्तार करने वाले अन्य व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह आपको गिरफ़्तार करने के लिए बल के उपयोग सहित गिरफ़्तारी के सभी साधनों का इस्तेमाल करे।

(धारा 46, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- पुलिस को आप अपना नाम और पता बताने से इनकार नहीं करें या गलत नाम या पता न दें। ऐसा करने पर आप पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ़्तार किए जा सकते हैं।

(धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)